मीटरी टन खाद्यान्न शेष था। नवम्बर और दिसम्बर, 1983 के दौरान क्रमशः 470615.08 रु० तथा 19427.00 रुपये के जहाज विलम्ब शुल्क होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम ने केवल खाद्यान्न नौभार के लिए शेड-विलम्ब शुल्क के रूप में नवम्बर और दिसम्बर, 1983 के दौरान क्रमशः 2.26 लाख रुपये तथा 0.52 रुपये अदा किए थे।

भारतीय खाद्य निगम के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के विरुद्ध शिकायतों की जांच

313. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री 25 अप्रैल, 1984 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 54 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी एसोसिएशन मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा निगम के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकरण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को इन आरोपों में कोई सार दिखाई नहीं दिया है।

खाद्य पदार्थों का रासायनिक परीक्षण

314. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर 1983 से 30 नवम्बर, 1983 की अवधि के दौरान दिल्ली, गाजियाबाद, बंगलौर और कलकत्ता स्थित प्रयोगशालाओं में जिन खाद्य पादर्थों के नमूनों का रासायनिक परीक्षण किया गया था, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस संबंध में कितने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ;